

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2985  
17 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर  
ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता

2985. श्री घनश्याम सिंह लोधी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को दवाओं की ऑनलाइन बिक्री की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं जो ऑनलाइन दवाएं बेच रही हैं;
- (ग) लाइसेंस के बिना दवाएं बेचने वाली ऑनलाइन कंपनियों का उनके नाम सहित ब्यौरा क्या है और वे कितने वर्षों से अपनी दवाएं बेच रही हैं;
- (घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां दवाओं की ऑनलाइन बिक्री का नेटवर्क मौजूद है; और
- (ङ) ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के उल्लंघन में विभिन्न मोबाइल अनुप्रयोगों सहित ऑनलाइन, इंटरनेट अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से औषधियों की बिक्री से संबंधित चिंताओं को उठाते हुए विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं।

अभ्यावेदनों में निष्कर्षों के आधार पर सीडीएससीओ ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में लगी 31 फर्मों को दिनांक 08.02.2023 और दिनांक 09.02.2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किए।

औषधियों की गुणवत्ता से संबंधित मामलों की जब भी सूचना मिलती है, तो औषध और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले को संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) के साथ उठाया जाता है। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को उपयुक्त

न्यायालय में अभियोजन सहित ऐसे लाइसेंसों की किसी भी शर्त के उल्लंघन पर कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है।

सीडीएससीओ तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित नियामक उपाय किए हैं:

1. औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को नकली और मिलावटी औषधियों के विनिर्माण के लिए कठोर दंड देने हेतु औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम 2008 के तहत संशोधित किया गया कुछ अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती भी बनाया गया है।

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने शीघ्र निपटान के लिए औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया है।

3. केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में स्वीकृत पदों की संख्या में पिछले 10 वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

4. औषधियों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए, औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में संशोधन किया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि आवेदक कुछ औषधियों की ओरल खुराक प्रकार के लिए विनिर्माण लाइसेंस प्रदान करने के आवेदन के साथ जैव समतुल्यता अध्ययन का परिणाम प्रस्तुत करेगा।

5. औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में यह अनिवार्य करके संशोधन किया गया है कि विनिर्माण लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व विनिर्माण प्रतिष्ठान का निरीक्षण केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के औषधि निरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है।

6. औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में संशोधन किया गया है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि आवेदकों को प्राधिकरण द्वारा विनिर्माण लाइसेंस प्रदान करने से पहले राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थिरता, सुरक्षा आदि के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

\*\*\*\*\*